प्रेस नोट **दिनांक 15.01.2026**

गैंग रेप से संबंधित तीन अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.01.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ हाइवे पर स्थित ग्राम क्यामुद्दीनपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 013/2026 धारा 70(1), 351(3) BNS थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त 1. अमित उर्फ सूरज पुत्र कैलाश नाथ निवासी ग्राम शेख अहमदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ उम्र करीब 22 वर्ष बताया दूसरे ने अपना नाम 2.किशन कुमार पुत्र हरिराम ग्राम क्यामुद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ उम्र करीब 19 वर्ष बताया व तीसरे ने अपना नाम 3. तारकेश्वर कुमार उर्फ तोता पुत्र जगदीश ग्राम सोहराबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

सक्षिप्त विवरण- वादनी अपने पड़ोस की भाभी के साथ दवा लेने मड़ैया गई थी। दवा लेने के बाद वादनी अपने भाभी से बोली कि मैं घर जा रही हू। घर जाने के लिए आटो का इंतजार करने लगी कि एक ई रिकशा से 1. अमित उर्फ सूरज पुत्र कैलाश नाथ ग्राम शेखामदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ 2. किशन पुत्र हरिराम ग्राम क्यामुद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ व 3. तारकेश्वर पुत्र जगदीश ग्राम सोहराबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ आये और मुझे गाड़ी में बैठा लिये। मड़ैया से ये तीनो लोग मुझे मुहम्मदाबाद बाजार में लेकर आये और एक शराब की दुकान से शराब खरीदे। शराब लेकर पीते हुए तीनो लोग मुझे शेखामदपुर एक खेत में लेकर समय लगभग रात में 7.30 बजे गये और तीनो लोग बारी बारी मेरे साथ बलत्कार किये। मुझे धमकी दिये कि किसी को बताना मत नही तो जान से मार देगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमित उर्फ सूरज पुत्र कैलाश नाथ ग्राम शेखामदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ उम्र करीब 22 वर्ष
2. किशन पुत्र हरिराम ग्राम क्यामुद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

3. तारकेश्वर पुत्र जगदीश ग्राम सोहराबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया
2. हे0का0 मनोज शर्मा
3. हे0का0 अखिलेश यादव
4. का0 रजनीश रावत
5. म0का0 आकांक्षा सिंह

02 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 04 अदद बकरी व बकरी बेचकर प्राप्त 12000 नगद रुपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.01.2026 को थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर नेमड़ाड नहर पुलिया से मु0अ0स0 1/26 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अखिलेश पुत्र स्व0 जगमोहन निवासी कमल सागर थाना रामपुर व शाहिद पुत्र सुकरुहुल्लाह कुरैशी निवासी रामपुर रसूलपुर आदमपुर थाना रामपुर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी 04 अदद बकरी व अभियुक्त शाहिद से कब्जे से बकरियां बेचकर प्राप्त 12000/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अखिलेश पुत्र स्वजगमोहन निवासी कमल सागर थाना रामपुर 0 जनपद मऊ।
2. शाहिद पुत्र सुकरुहुल्लाह कुरैशी निवासी रामपुर रसूलपुर आदमपुर थाना रामपुर जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मुबीएनएस (2)317 ,(4)331 ,305 धारा 26/1 0स0अ0

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 लाल बहादुर थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार त्रिपाठी थाना रामपुर जनपद मऊ।
3. हे0का0 मो0 अशरफ थाना रामपुर जनपद मऊ।
4. हे0का0 रविन्द्र कुमार थाना रामपुर जनपद मऊ।
5. का0 अमरजीत थाना रामपुर जनपद मऊ।

--अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश--

दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद चोरी के ई रिक्शा , 08 अदद चोरी की बैटरी एवं घटना में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा व एक आटो बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशानुसार जनपद में चोरी/वाहन चोरी के लगातार हो रही घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लाये जाने के लिये, अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी तथा अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं शीघ्र अनावरण हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृश राजपूत के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर देवपरवा नाला के पास के पास से घेराबंदी करते हुए सुनसान सड़क पर एक सीएनजी वाला आटो खड़ा कर उसकी आड़ में ई रिक्शा से बैटरियां निकाल लगा रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों से रोक टोक किया गया तो इधर उधर की बातें करने लगे जिनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वे आटो व ईरिक्शा से घूम घूम कर रेकी करते हैं तथा सुनसान स्थानों पर खड़ी ईरिक्शाओं को चुरा लेते हैं और अगर ई रिक्शा चुराने में परेशानी होती है तो उसकी बैट्रियां चुराकर बिक्री कर देते हैं। नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः (1) सज्जाद उर्फ सोनू, पुत्र अजीजुलरहमान, निवासी ख्वाजाजहांपुर, उम्र लगभग 25 वर्ष तथा (2) जितेन्द्र राजभर उर्फ जित्तू, पुत्र परदेशी, निवासी सहादतपुरा, उम्र लगभग 35 वर्ष बताया जिनकी निशानदेही पर उनके निशानदेही पर राहुल हास्पिटल मऊ के पास से दिनांक 12.01.2026 की रात में चोरी हुआ ई-रिक्शा संख्या UP54BT2336 तथा कुल 08 अदद चोरी की बैट्रियां और चोरी की घटना के लिये रेकी में प्रयुक्त ई-रिक्शा संख्या UP54AT7453, सीएनजी आटो संख्या UP54AT6984 बरामद की गयी हैं

। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. सज्जाद उर्फ सोनू, पुत्र अजीजुलरहमान, निवासी ख्वाजाजहांपुर, उम्र लगभग 25 वर्ष
2. जितेन्द्र राजभर उर्फ जित्तू, पुत्र परदेशी, निवासी सहादतपुरा, उम्र लगभग 35 वर्ष

अपराध के तरीके का विवरण:

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि – इन लोगों के द्वारा रात्रि में घूम घूम कर रेकी किया जाता है और जो वाहन ईरिक्शा रोड के किनारे सुनसान स्थानों पर खड़े रहते हैं उनको चोरी कर लिया जाता है , कभी कभी अगर वाहन चोरी करने में सफलता नहीं मिल पाती है तो उसकी बैट्रियों को चोरी कर लिया जाता है। इन लोगों द्वारा इसके पहले जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों व जनपद आजमगढ़ से करीब 8 से 10 ईरिक्शा उठाया गया है और उनकी बैटरियां भी चुरा कर बेच दी गयी हैं।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

मु.अ.सं. 16/26 धारा 303(2), 317(2), 3(5) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक – 15.01.2026

समय – 05.45 बजे

स्थान – देवपरवा नाला के पास , थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण:

चोरी के ई रिक्शा :

1. रजिस्ट्रेशन नम्बर UP54BT2336 (सम्बन्धित मु.अ.सं. 16/26 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ)
2. **08 अदद चोरी की बैटरियां**

घटना में प्रयुक्त 02 वाहन -

1. ई-रिक्शा संख्या UP54AT7453
2. सीएनजी आटो संख्या UP54AT6984

गिरफ्तार्ता पुलिस टीम-

1. प्र0नि अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार चौकी प्रभारी सारहू थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. उ0नि0 अम्बरीश पाण्डेय चौकी प्रभारी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
4. उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
5. हे.का. अजीत सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपदमऊ।
6. हे.का. परमेश्वर यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
7. हे.का. अशोक कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
8. का. अनुज कुमार वर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
9. का. रोहित यादव थाना कोतवाली जनपद मऊ

मिशन शक्ति टीम द्वारा गुमशुदा की सकुशल बरामदगी-

श्रीमान जी आगन्तुक लाल बाबु साहनी पुत्र लाल परिखा निवासी रणवीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के द्वारा लिखित प्रा०पत्र जिमसे आवेदक की पत्नी शहीता साहनी उम्र करीब 22 वर्ष दिनांक 12.01.2026 को घर से बिना बताये कही चले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 13.01.2026 को गुमशुदा क्रमांक 02/2026 पंजीकरण किया गया। उक्त गुमशुदा शहीता साहनी के बरामदगी हेतु मिशन शक्ति टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, इसी क्रम मे मिशन शक्ति टीम में शामिल उ0नि0 अनिल कुमार तिवारी व म0उ0नि0 कोमल कसौधन व म0का0 पूजा यादव पुलिस टीम के द्वारा गुमशुदा शहीता साहनी को दिनांक 15.01.2026 को सकुशल बरामद किया गया। बरामद गुमशुदा शहीता साहनी को उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

नगर के चर्चित साड़ी चोरी प्रकरण में गैंग लीडर द्वारा अपराध से अर्जित की गई लगभग ₹1,46,13,000/- मूल्य की भूमि व मकान धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जब्त "

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ श्री इलामारन जी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों द्वारा अर्जित अवैध चल-अचल सम्पत्तियों की पहचान कर विधिसम्मत जब्तीकरण किए

जाने हेतु एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृश राजपूत के पर्यवेक्षण में एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर द्वारा सतत सुरागरसी एवं पतारसी की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु0अ0सं0 424/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा, निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित एवं समाज विरोधी अपराध कारित करते हुए अवैध रूप से धन अर्जित किया गया तथा उसी अवैध धन से **मकान संख्या 557/जी, गाटा संख्या 69, रकबा 52 कड़ी (210.6 वर्गमीटर), स्थित मौजा डोमनपुरा, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ** को क्रय किया गया।

उक्त अचल सम्पत्ति का **सर्किल दर के अनुसार मूल्य लगभग ₹48,71,000/- तथा बाजारू मूल्य लगभग ₹1,46,13,000/- (रुपये एक करोड़ छियालिस लाख तेरह हजार मात्र)** आंका गया है। जांच के दौरान अभियुक्त के पास उक्त सम्पत्ति क्रय करने का कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया। विवेचना उपरान्त इस सम्बन्ध में विस्तृत पुलिस रिपोर्ट पूर्व में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद मऊ को प्रेषित की गई थी।

उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर **श्री प्रवीण मिश्र, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा दिनांक 13.01.2026 को वाद संख्या 50/2026, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202615510000050, सरकार बनाम होजैफा नसीम,** अन्तर्गत **धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** में आदेश पारित करते हुए उपरोक्त अचल सम्पत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश दिया गया। आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्यवाही नियमानुसार पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा सम्पन्न कराई गई है तथा तहसीलदार, सदर को उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कुर्क की गई सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, निर्माण अथवा कब्जा परिवर्तन पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा आदेश के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह कार्यवाही जनपद में अपराध, माफिया एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध शासन की शून्य सहनशीलता नीति के अनुरूप की गई है।